

न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

53/17

निर्णय दिनांक 16/10/17

रिपोर्ट पटवारी हल्का राजपुर द्वारा प्रस्तुत की गई । प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 29.9.17 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई । आवाज लगवाई गई गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा संक्षिप्त न विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का राजपुर द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल राजपुर पुत्र निधन सिंह कौम अवेर निवासी विदेय तहसील राजाखेडा ने आराजी ख0न0 224 किस्म नीयगहू रकवा 0.04 बांके ग्राम विदेय पर राजपुर की अतिक्रमण कर लिया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया । गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा। कोई सबूत व साक्ष्य पेश नहीं किया गया । तत्पश्चात रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया तो पाया गया कि अतिचारी का अतिचार सिद्ध होता है।

अतः राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है शरह लगान 0.80 की 50 गुनी से शास्ति राशि 40 रुपये आरोपित की जाती है। भू0 अभिलेख निरीक्षक / पटवारी हल्का को लिखा जावे। टी0आर0ए0 का माग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

राशि 40 पंजिका के
 पृष्ठ सं० 32 क्रम सं० 06
 दर्ज की गई
राजपुर
 6/10/17
 TBA
 राजाखेडा

राजपुर
 तहसीलदार
 राजाखेडा